

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न० 152/2019

प्रार्थीगण :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :- नरपतसिंह पुत्र शिवनारायण जाति खारवाल निवासी पचपदरा

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकॉर्ड
दुरुस्ती करने बाबत

उपस्थिति:- 1. राजकीय पेटोकार तहसीलदार, पचपदरा
'निर्णय'

दिनांक :- 18.06.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि तहसील पचपदरा को डी आई एल आर एल पी योजनान्तर्गत अतिशीघ्र ऑनलाईन कर सभी सुविधाएँ ऑनलाईन उपलब्ध करवाने के प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं। ऑनलाईन तहसील होने के पश्चात् काश्तकारों को सीधे ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ई-मित्र कियोस्क पर समस्त रेकॉर्ड एवं नक्शों ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगे इससे काश्तकारों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तथा उनका समय एवं धन भी बचेगा। तहसील पचपदरा के सरहद मौजा वेदरलाई में मूल खेत खसरा संख्या 178 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। अन्त में निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण के मूल खसरे के अनुसार एकीकरण करने का निवेदन किया गया। यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।



इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को खारिज किया गया, प्रार्थी राजस्थान राज्य की ओर से तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी को सुने बिना दिनांक 09.01.2020 को पारित एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर पुन बरामद करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी को सुना जाकर दिनांक 15.02.2021 को इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.01.2020 को पारित आदेश को अपास्त कर आवेदन पत्र पुनः किया गया।

उपस्थित अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा वेदरलाई में मूल खेत खसरा संख्या 78 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभाजित किये हुए हैं, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त खसरों से विभाजित किये गये खसरों का एकीकरण पूर्व की स्थिति के अनुसार करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी संवत् 2070-73 मय नक्शा लट्टा ट्रेस एवं परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मूल खेत खसरा संख्या 78 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से मौजा वेदरलाई में मूल खेत खसरा संख्या 78 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाकर इस्तदुआ के अनुसार दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। जिनके नये खसरे विभाजित किये हुए हैं, नये विभाजित किये गये खसरों की तरमीम संबंधित खातेदार के माफिक कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर नहीं की गई है। विप्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार की गई तरमीमों का मौके पर मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा वेदरलाई में मूल खेत खसरा संख्या 78 की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में किया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजित खसरों का मूल खसरा में एकीकरण करने हेतु प्रस्तावित परिशिष्ट अ के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते हैं उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में परिशिष्ट अ के मुताबिक अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित परिशिष्ट "अ" इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/ आवेदन प्रस्तुत करके चाराजोही कर सकता है।



निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निर्णय सीमा)
म. अभिलेख अधिकारी
उप. ख. अ. अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

उप. अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा